

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

सू. नं०- 06/2019

तारीखरज्- 8/11/19

उपवाक- महेश कुमार बनाम उमन्ती वपै०

गहरौली

इजराय डिफ़ी पालना

दिनांक	फर्द अहकाम
8/11/19	डिफ़ीदार की ओर से श्री कुमार एडवोकेट ने मु०न० 49/18 में पारित निर्णय दिनांक 30/5/2019 में जारी डिफ़ी की पालना में इजराय पेश की। अवलोकन किया गया। दर्ज रजिस्टर होकर तहसीलदार टोडाभीम को पालना हेतु डिफ़ी की प्रति तहरीर के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली दिनांक 09.08.2019 को पेश हो। उप-जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली
9-9-19	वकील सिद्धिदा उप०/प०.०.० करौली पत्रावली में पालना दिनांक 12-9-19 को पेश हो।
12-9-19	वकुलाय स्थित/पीठसन अधिकारी नगर मथार है। अतः पत्रावली गतनुसार दिनांक 27-9-19 को पेश हो।
27-9-19	वकील सिद्धिदा उप०/तहसीलदार टोडाभीम से रजका टुकल करने का पत्र प्राप्त होने पर मूल पत्रावली में निर्णय व डिफ़ी में खं.नं. 58/2 के रजका 0.686 हे० के स्थान पर 0.0686 हे० दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। डिफ़ी की प्रति भेजकर पालना स्थिर प्राप्त की जावे। पत्रावली दिनांक 18-10-19 को पेश हो।
18-10-19	वकील सिद्धिदा उप०/वज्जना पालना स्थिर दिनांक 28-11-19 को पेश हो।

2580
8-7-19

14995
9-10-19

दिनांक	फर्द अहकाम
29.11.19	वकील डिडीदार उपस्थित। नहलीलदार टोडाभीम से प्राप्त पालना के अनुसार जागह संख्या 991 दिनांक 27.11.19 से डिडी की पालना हो चुकी है प्रबन्ध प्रकरण में कार्यवाही उपस्थित नहीं होने से कार्यवाही शेष की जाती है पत्रावली के हल सुमार हेकर नम्बर से दस ठेका बाद तकरीत दारिखत - दफ्तार हो।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (कसैली)

